न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 40 / 2024
निर्णय दिनांक : 13.07.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024/95 दायर दिनांक – 25.04.2024

सुमन देवी पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासीनी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–
1. प्रार्थीनी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीनी निवासीनी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की निवासीनी है जिनके रोही ग्राम लालपुरा तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 289 / 87, खसरा संख्या 291 / 90 व खसरा संख्या 81 तथा रोही ग्राम मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 155 के खसरा संख्या 10 व खसरा संख्या 182 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में झूमा पुत्री भीखाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड आदि में सुमन देवी पुत्री भीखाराम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादगत भूमि रोही लालपुरा व मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम सुमन देवी पत्नी पवन कुमार दर्ज है। झूमा व सुमन दोनों एक ही महिला के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुमन देवी पुत्री भीखाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम सुमन देवी पुत्री भीखाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही लालपुरा खेत खाता खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 289/87 रकबा 2.7439 हैक्टेयर, खसरा संख्या 291/90 रकबा 2.6933 हैक्टेयर व खसरा संख्या 81 रकबा 0.0632 हैक्टेयर तथा रोही ग्राम मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 155 के खसरा संख्या 10 रकबा 2.1749 हैक्टेयर व खसरा संख्या 182 रकवा 2.7186 हैक्टेयर तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार झूमा पुत्री भीखाराम के स्थान पर सुमन पुत्री भीखाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़